

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा	दिनांक
	1502-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर नहीं आये हैं। अवमानना अधिनियम 1956 के अंतर्गत शा.पत्र अं.धा. 212 संबंधित मूल पाद व शा.पत्र अं.धा. 212 शा. कारत. अधिनियम संबंधी पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में धारित की जा चुकी है, अतः अवमानना अधिनियम 1956 पत्रावली का भी अदम कोर्ट अधिनियम सिद्ध नहीं है। अतः अवमानना अधिनियम 1956 पत्रावली अदम हाजिरी, अदम पैरवी में एनडू द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल सुमार वीयर नंबर से कम वीयर दाखिल दफतर हो निर्णय युक्त न्यायालय में आज मेरे हस्ताक्षर व मुहर से जारी किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक जज साथी सेक </p>	

